

प्रेषक,

जे(1) पी0 जोशी ,
अनु सचिव ,
उत्तरांचल शासन ।

Kind Attn:-

The Chief Exec
& Secretary

सेवा में,

सचिव,
काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल
सार्तीफिकेट एक्जामिनेशन,
प्रगति हाउस, तृतीय तल,
47-48 नेहरु प्लेस, नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 24 मार्च, 2003

विषय:- द सेलाकुई स्कूल चकराता रोड देहरादून को आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि द सेलाकुई स्कूल चकराता रोड देहरादून को आई0सी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन, देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न वक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा ।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।
- 5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे ।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति के लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

Headmaster
SelaQui International School
Dehradun

THE GURUKUL TRUST

Opal

Chairman

Prakash Chandra

कमरा:-2-
Manager

SelaQui International School

- 9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था निर्धारित मानकों की पूर्ति एक निश्चित अवधि में पूर्ण करेगी।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,


(जे० पी० जोशी)
अनु सचिव।

संख्या:- 55 (1) / माध्यमिक / 2003-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2-मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- 3-जिला शिक्षालय निरीक्षक, देहरादून।
- 4-प्रबन्धक, द सेलाकुई स्कूल चकराता रोड, देहरादून।
- 5-अनुभागीय पुस्तिका।


आज्ञा से,


(जे० पी० जोशी)
अनु सचिव।

2

THE GURUKUL TRUST


Chairman


Headmaster
SelaQui International School
Dehradun


Manager
SelaQui International School